कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/A/18881/SCPCR/18–19/217 दिनांक– 07.07.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त।

विषयः–राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाईन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी के संबंध में।

प्रसंगः–शासन उपसचिव स्कूल शिक्षा ग्रुप–5 विभाग के पत्र क्रमांक–प. 9(7) शिक्षा–5/बाल सरंक्षण/2015, जयपुर दिनांक–16.06.2020 एवं संयुक्त सचिव, राजस्थान बाल सरंक्षण आयोग, जयपुर के पत्र क्रमांक– एफ 19()/बाल आयोग/20–21/13977 दिनांक–29.05.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है राजस्थान राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग, जयपुर द्वारा ''राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाईन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी'' जारी की गयी है। अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में स्थित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त एडवाइजरी की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार

(अशोक सांगवा)
RAS
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि–

1 शासन उपसचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सूचनार्थ।
2., राजस्थान राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।

(अशोक सांगवा)
RAS
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज(प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान बीकानेर

(212) Ⓡ PSP 30/6/2020

ई–मेल /आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प. 9(7) शिक्षा–5/बाल संरक्षण/2015 जयपुर दिनांक 16.06.2020

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर 30 JUN 2020 प्रां शि/निजी डास 8550

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर ।

विषयः– राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर से उनका पत्र क्रमांक एफ19( )/बाल आयोग/20–21/13977 दिनांक 29.05.2020 द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कराये जाने हेतु एडवाइजरी जारी कर प्रति इस विभाग को प्रेषित की है।

राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में राजस्थान राज्य बालि अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर द्वारा प्रेषित ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में जारी एडवाइजरी की प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर समुचित कार्यवाही से संबंधित एवं इस विभाग को सूचित करने का श्रम करावें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अता उल्लाह)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,2 जलपथ गांधी नगर, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ19( )/बाल आयोग/20–21/13977 दिनांक 29.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है प्रेषत है।

लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

2 जलपथ गांधी नगर जयपुर
Tel. 0141-2709319 Email - rscpcr@rajasthan.gov.in

क्रमांकः-एफ 19 ( )/बाल आयोग/20-21/ 13977 दिनांकः 29.5.2020

श्रीमान शासन सचिव,
शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राजकीय एंव निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी।

महोदय,

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सरकार प्रदेश में 0-18 वर्ष तक की आयु के बच्चो के अधिकारो के संरक्षण हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नियम 2010 अन्तर्गत स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है।

कोविड-19 का प्रसार रोकने की दृष्टि से एवं नया सत्र प्रारम्भ करने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न विद्यालयो एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। इस संबंध में ऑनलाइन शिक्षण से बच्चों पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने हेतु आयोग द्वारा एडवायजरी बनाई गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी संलग्न कर आपसे निवेदन है कि राजस्थान के समस्त राजकीय एंव निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं को इस एडवायजरी का पालन करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

संयुक्त सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
जयपुर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

2 जलपथ गांधी नगर जयपुर

Tel. 0141-2709319 Email - rscpcr@rajasthan.gov.in

राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान सरकार प्रदेश में 0-18 वर्ष तक की आयु के बच्चो के अधिकारो के संरक्षण हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नियम 2010 अन्तर्गत स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है। साथ ही आयोग किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैगिंक अपराधों से बच्चो का संरक्षण अधिनियम 2012, निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं भारत के सविधान में बच्चो को प्रदत्त अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु पर्यवेक्षण निकाय के रूप में कार्यरत है।

कोविड-19 का प्रसार रोकने की दृष्टि से एवं नया सत्र प्रारम्भ करने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न विद्यालयो एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। यह एक विकल्प हो सकता है, परन्तु इस व्यवस्था को कक्षा-कक्ष का पूर्णरूप से विकल्प ठहराया जाना उपयुक्त नहीं है। बच्चों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल और पहुंच ने उनके ऑनलाइन शोषण और दुरूपयोग के संभावित खतरे को भी बढा दिया है। अतः इसके उपयोग में सावधानी बरतते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है कि इसका कब एवं कितना उपयोग हो, ताकि बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक तनाव न बढ़े।

आनॅलाइन शिक्षण के दौरान यह भी नितान्त आवश्यक है कि शिक्षण, बच्चों के आयुवर्गानुसार उनकी क्षमता, समझ एंव बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर कराया जाए। RTE अधिनियम की धारा 24 (1) (घ) में यह स्पष्ट भी किया गया है कि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण करवाना, साथ ही धारा 17(1) में यह सुनिश्चित भी किया गया कि बच्चे का शारीरिक या मानसिक उत्पीडन न हो। इस आधार पर प्रदेश के समस्त राजकीय, निजी विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण करावें:-

www.rajteachers.com

- उच्च प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों (14 वर्ष तक की आयु) के ऑनलाइन शिक्षण के लिए अधिकतम 30-40 मिनट का एक सत्र हो। तत्पश्चात् न्यूनतम 10-15 मिनट का गैप रखा जाना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए छोटे-छोटे रोचक, ज्ञानवर्द्धक, 10 से 15 मिनट के विडियो/चित्रों के माध्यम से शिक्षण कराया जाए, ताकि बच्चों में ज्ञान, समझ के साथ-साथ रूचि बनी रहे, और आखों को भी आराम मिल सके।
- कविताएँ, कहानियाँ एंव सामान्य अध्यापन में विडियो के स्थान पर ऑडियो विकल्प का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- ऑनलाइन शिक्षा, स्थिति सामान्य होने तक के लिए एक विकल्प है। इसलिए अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि वे स्वयं भी अपने बच्चों के अध्ययन-अध्यापन में सक्रिय सहयोग करें, जिससे बच्चे विषय-वस्तु को भली-भॉति समझ सके। इसे कक्षा शिक्षण-अधिगम का विकल्प नहीं माना जाए क्योंकि कक्षा-शिक्षण का स्थान सर्वोपरि है।
- बालकों को ऑनलाइन शिक्षा के तहत कक्षा स्तर अनुसार एवं आयु वर्ग के अनुसार ही कार्य दिया जाए। अत्यधिक गृहकार्य नहीं दिया जाए। जिससे कम्प्यूटर, लेपटॉप, व मोबाइल से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें पैदा न हो। यह अतिआवश्यक है।
- ऑनलाइन शिक्षण से सप्ताह में दो दिन पूर्ण रूप से बच्चों को दूर रखा जाए। सप्ताह में दो अवकाश मिलने से बच्चे इन उपकरणों से दूर रहते हुए अन्य उपलब्ध शिक्षण सामग्री से स्वाध्याय करेंगे।
- पढाई जाने वाली विषय सामग्री का टाइम-टेबल सात दिवस पूर्व जारी किया जाए, ताकि बच्चे स्वयं अथवा अभिभावकों की मदद से उस विषय सामग्री की पूर्व तैयारी कर सकें, तथा पूर्व अध्ययन कर सकें।
- बालकों को गृह कार्य ऑनलाइन दिया जाए, परन्तु यह कार्य बच्चे से अपनी नोटबुक अथवा स्लेट या जैसी भी स्थिति हो ऑफलाइन ही करवाया जाए। संचार उपकरणों का प्रयोग केवल विषय-वस्तु को समझाने के लिए किया जाए।
- विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षा शिक्षण शुरू करने से पहले बालकों को आवश्यक रूप से संचार उपकरणों के प्रयोग के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया जाए तथा निश्चित अन्तराल में उनको दोहराया जाए।
- संचार उपकरणों के दुष्प्रभावों के बारे में भी बालकों को बार-बार सचेत करते रहना चाहिए।
- लॉकडाउन के दौरान आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षा कार्यक्रमों को सुनने/देखने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि बालकों की व्यक्तिगत तौर पर संचार उपकरणों (मोबाइल, लेपटॉप/कम्प्यूटर) पर निर्भरता कम हो सके।

www.rajteachers.com

- यदि विड़ियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अध्ययन/अध्यापन करवाया जा रहा है, तो बालकों के छोटे-छोटे समूह बनाकर अध्ययन करवाया जाए, ताकि प्रत्येक बालक को अपनी जिज्ञासा शान्त करने का समुचित अवसर मिल सके।
- बालकों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपकरण विशेष/एप विशेष क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करें। सर्वसुलभ गैजेट/एप के माध्यम से अध्यापन करवाया जाए।
- एक कक्षा के सभी अध्यापक पारस्परिक सामंजस्य से अध्ययन सामग्री का समय विभाग चक्र इस तरह से बनाएं कि बालकों को रूचिपूर्ण होने के साथ-साथ उन्हें तनाव महसूस न हो।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सभी शिक्षकों को उक्त बिन्दुओं के पालनार्थ आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए निश्चित समय अन्तराल पर प्रति सप्ताह प्रगति एवं फीडबैक लेकर समीक्षा की जाए।
- ऑनलाइन शिक्षण में प्रातः 9 बजे से पूर्व तथा सांय 4 बजे के बाद कोई विड़ियो कॉन्फ्रेसिंग बच्चो को सम्मिलित करते हुए नहीं की जाए।
- ग्रीष्मावकाश में बच्चे रूचि के अनुसार सिखते हैं। परिवार के साथ समय बिताते है, अतः इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ऑनलाइन शिक्षण अवकाश कि अवधी को प्रभावित न करें।
- हर 15 दिन के अन्तराल में मौक-टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है ताकि विद्यार्थियो ने जो पढा एंव सीखा उसका आंकलन हो पाए।
- वर्चुअल-क्लासेस का आयोजन भी विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
- जिन विद्यार्थियो को विडियो-सेशन देखने में समस्या होती है, उन्हे विडियो-सेशन का विकल्प उपलब्ध करवाया जाए।
- ऑनलाइन शिक्षण के प्रारम्भ अथवा अन्त में शिक्षक द्वारा योग, ध्यान एंव शारिरिक स्वास्थ्य से भी बच्चो को अवगत करवाते हुए प्रेतित किया जाए।

संयुक्त सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
जयपुर

www.rajteachers.com